REGD. NO. D. L.-33004/99

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99



असाधारण EXTRAORDINARY भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i) प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

 सं. 711]
 नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अक्तूबर 6, 2016/आश्विन 14, 1938

 No. 711]
 NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 6, 2016/ASVINA 14, 1938

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 अक्तूबर, 2016

सा.का.नि. 959(अ).—जबकि कर्मचारी राज्य बीमा (केन्द्रीय) नियमावली, 1950 में आगे संशोधन हेतु कुछेक मसौदा नियम, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 की धारा 95 की उप धारा (1) की अपेक्षानुसार सा.का.नि. 720(अ) दिनांक 25 जुलाई, 2016 द्वारा भारत का राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित हुए, जिसमें उससे प्रभावित हो सकने वाले व्यक्तियों से आपत्तियां तथा सुझाव, भारत का राजपत्र जिसमें उक्त अधिसूचना प्रकाशित की गई, की प्रतियां जनता को उपलब्ध होने की तिथि से तीस दिन की अवधि की समाप्ति से पूर्व आमंत्रित किए गए;

और जबकि, उक्त राजपत्र की प्रतियां 25 जुलाई, 2016 को जनता को उपलब्ध कराई गईं;

और जबकि उससे प्रभावित होने वाले संभावित व्यक्तियों से प्राप्त आपत्तियों तथा सुझावों पर सरकार द्वारा विचार किया गया;

अब: अब कर्मचारी राज्य बीमा निगम के परामर्श से उक्त अधिनियम की धारा 95 की उप धारा (2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार कर्मचारी राज्य बीमा (केन्द्रीय) नियमावली, 1950 में आगे संशोधन हेतु एतद्वारा निम्नलिखित नियमावली बनाती है, अर्थात्-:

 (1) इस विनियमावली को कर्मचारी राज्य बीमा निगम (केन्द्रीय) द्वितीय संशोधन नियमावली, 2016 कहा जाए।

(2) यह भारत के राजपत्र में इसके प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगी।

4758 GI/2016

- 2. कर्मचारी राज्य बीमा (केन्द्रीय) नियमावली, 1950 में;
 - (क) नियम "51-(क)" को नियम "51क" के रूप में पुन: अंकित किया जाएगा;
 - (ख) इस प्रकार पुन: अंकित नियम 51क के उप नियम (2) के बाद निम्नलिखित नया नियम जोड़ा जाएगा, अर्थात्-:

"51ख. उन क्षेत्रों में, जहां अधिनियम पहली बार कार्यान्वित किया गया है, कार्यान्वयन की ऐसी तारीख से आरंभ के चौबीस माह हेतु नियोक्ता और कर्मचारी अंशदान की दरें निम्नानुसार होंगी-:

- (क) नियोक्ता का अंशदान-कर्मचारी को देय मजदूरी के तीन प्रतिशत के बराबर राशि (अगले उच्चतर रुपये में पूर्णांकित); तथा
- (ख) कर्मचारी का अंशदान─कर्मचारी को देय मजदूरी के एक प्रतिशत के बराबर राशि (अगले उच्चतर रुपये में पूर्णांकित)

परंतु अधिनियम की अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से चौबीस माह पूरे होने पर, नियम 51 में यथाप्रदत्त अंशदान की दर लागू होगी।"

[फा. सं. एस-38012/01/2016-एस.एस.-I]

राजीव आरोड़ा, संयुक्त सचिव

टिप्पणी : मूल नियमावली अधिसूचना संख्या एस.आर.ओ. 212, दिनांक 22 जून, 1950 द्वारा भारत का राजपत्र में प्रकाशित की गई थी तथा अधिसूचना संख्या जी.एस.आर. 598(अ), दिनांक 14 जून, 2016 द्वारा अंतिम बार संशोधित की गई थी।

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th October, 2016

G.S.R. 959(E).—Whereas certain draft rules further to amend the Employees' State Insurance (Central) Rules, 1950 were published, as required by sub-section (1) of section 95 of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, section 3, sub-section (i) vide number G.S.R. 720(E), dated 25th July, 2016 inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby before the expiry of a period of thirty days from the date on which the copies of the Official Gazette in which the said notification was published, were made available to the public;

And whereas, the copies of the said Official Gazette were made available to the public on the 25th July, 2016;

And whereas, objections and suggestions received from persons likely to be affected thereby, have been considered by the Central Government;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 95 of the said Act, the Central Government, after consultation with the Employees' State Insurance Corporation, hereby makes the following rules further to amend the Employees' State Insurance (Central) Rules, 1950, namely:-

- 1. (1) These rules may be called the Employees' State Insurance (Central) Second Amendment Rules, 2016.
 - (2) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. In the Employees' State Insurance (Central) Rules, 1950,-

(a) rule "51-(A)" shall be renumbered as rule "51A";

(b) after sub-rule (2) of rule 51A as so renumbered, the following new rule shall be inserted, namely:-

"51B. In areas where the Act is implemented for the first time, the rates of employer's and employee's contribution for the initial twenty-four months from such date of implementation, shall be as under:-

- (a) Employer's contribution A sum (rounded to the next higher rupee) equal to three per cent of the wages payable to an employee; and
- (b) Employee's contribution A sum (rounded to next higher rupee) equal to one per cent of the wages payable to an employee:

Provided that on completion of twenty-four months from the date of implementation of the Act, the rate of contribution as provided under rule 51 shall be applicable."

[F. No. S-38012/01/2016-SS-I]

RAJEEV ARORA, Jt. Secy.

Note : The principal rules were published in the Gazette of India vide notification number S.R.O. 212 dated the 22nd June, 1950 and lastly amended vide notification number G.S.R. 598(E) dated the 14th June, 2016.